


28.08.23

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी या वादी स्वंप
उपस्थित नहीं। बार-बार आवाज लगाते पर भी
वकील वादी या वादी स्वंप उपस्थित नहीं हुए।
अतः वादी का यह वादपत्र अदमपैरवी अदम हाकिमी
में इसी स्तर पर खातिज किया जाता है।
पत्रावली का तरीका तकमील होकर दाखिल
दफ्तार है।

निर्णय लिखाया जाकर कुले न्यायालय में
बुनाया गया।


(अमिता खोसला)
R.A.S.